# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या— 17 / 2023 दायरा दिनांक 25.01.2023

GCMS CASE NO-2023/17

1. बन्नेसिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
2. देवीसिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
3. उम्मेदसिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
4. रघुवीरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
5. रूपसिंह पुत्र पीरदानसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
6. प्रेमसिंह पुत्र पीरदानसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
8. बलवीरसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
9. दारासिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
10. पेपसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
11. मदनलाल पुत्र मनरूप जाति नायक साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
12. भवंरलाल पुत्र मदनलाल जाति नायक साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़
13. शंकरलाल पुत्र मदनलाल जाति नायक साकिन बिरधवाल तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जीता देवी उर्फ जैतोदेवी पत्नी गोमाराम जाति जाट साकिन करड़ू तहसील सूरतगढ़
2. बुधाराम पुत्र बाबूराम जाति बिश्नोई साकिन रेवाडा बारठान तह. पचभदरा जिला बाडमेर
3. खेताराम पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
4. उप पंजीयक सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—

1. श्री कमलदत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 5

—:: निर्णय ::— दिनांक : 18.11.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने रोही बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 260 में 12.325 है0 बारानी दोयम भूमि बिना कब्जा काश्त ही गैर खातेदारी भूमि आवंटन करवा ली। जिसका इंतकाल संख्या 73 दिनांक 10.06.1985 को स्वीकृत करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 01 कभी भी ग्राम करड़ू में नही रही है। उक्त खातेदारी की सनद का इंतकाल संख्या 356 दिनांक 27.05.2013 को दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी का उक्त आवंटन महज पेपर आवंटन है। अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर जरिये पंजीबद्व बैयनामा द्वारा उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 02 का भी उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये पंजीबद्व बैयनामा द्वारा दिनांक 23.09.2022 को बेचान कर दी। अप्रार्थी संख्या 03 का भी कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने–अपने मकानात बना कर आबाद है। प्रार्थीगण ने अपने–अपने मकानात में बिजली, पानी कनेक्शन ले रखे है। प्रार्थीगण के राशनकार्ड, मतदाता [illegible] आधार [illegible] भूमि के पते पर बने हुये है। जिससे सिद्व होता है कि अप्रार्थीगणा संख्या 1 के नाम से उक्त [illegible] पेप[illegible]टन थी जिस पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नही रहा। [illegible] प्रार्थना पत्र भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीग[illegible] प्रार्थीगण की ओर [illegible] अधिवक्ता श्री कमलदत्त शर्मा उपस्थित हुए। [illegible] अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा त[illegible] अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.28 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

1086

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने रोही बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 260 में 12.325 है0 बारानी दोयम भूमि बिना कब्जा काश्त ही गैर खातेदारी भूमि आवंटन करवा ली। जिसका इंतकाल संख्या 73 दिनांक 10.06.1985 को स्वीकृत करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 01 कभी भी ग्राम करडू में नही रही है। उक्त खातेदारी की सनद का इंतकाल संख्या 356 दिनांक 27.05.2013 को दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी का उक्त आवंटन महज पेपर आवंटन है। अप्रार्थी संख्य 02 ने उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 02 का भी उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा दिनांक 23.09.2022 को बेचान कर दी। अप्रार्थी संख्या 03 का भी कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने–अपने मकानात बना कर आबाद है। प्रार्थीगण ने अपने–अपने मकानात में बिजली, पानी कनेक्शन ले रखे है। प्रार्थीगण के राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड उक्त भूमि के पते पर बने हुये है। जिससे सिद्व होता है कि अप्रार्थीगणा संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि पेपर आवंटन थी जिस पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नही रहा। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि प्रार्थीगण के मकानात को सरंक्षित हुए यदि प्रार्थीगण की खातेदारी बहाल रखी जाती है तो हम प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 भूमि होने के कारण, पेश काश्तकारी होने एवं राजस्थान का मूल निवासी होने के कारण पूर्ण जांच करने के उपरांत जैर प्रकरण रकबा दिनांक 28.11.1983 को गैर खातेदारी (दससाला) आवंटन हुआ। तत्पश्चात पूर्ण जांच उपरांत ही दिनांक 17.05.2023 को खातेदारी अधिकार जारी होकर राजस्व रिकार्ड में रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 2 बुधराम को दिनांक 27.05.2023 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया तथा बुधराम ने इस रकबा का प्रतिफल लेकर अप्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 23.09.2022 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया। बैयमाना दिनांक से लेकर आज तक लगातार कब्जा मुझ अप्रार्थी संख्या 3 का चला आ रहा है। इस रोही के खसरा न. 260 में करीब 50–55 बीघा आराजीराज है। आराजीराज भूमि पर ही प्रार्थीगण के मकानात बने हुए हो सकते है। आराजीराज रकबा राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है तथा मुझ प्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी रकबा पर खरीद दिनांक से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा खातेदारी हो गया है तथा खातेदारी अधिकारी जारी होने के पश्चात कलक्टर को खातेदारी निरस्त करने का अधिकार नही होता इसके अलावा नियम 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम व आवंटन नियम 1970 के प्रावधान एक साथ लागू नही होते। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि जैर प्रकरण रकबा दिनांक 28.11.1983 को गैर खातेदारी (दससाला) आवंटन हुआ, तत्पश्चात पूर्ण जांच उपरांत ही दिनांक 17.05.2023 को खातेदारी अधिकार जारी हुए। गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही के दौरान भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त ना होने संबंधी तथ्य सामने नहीं आये तथा ना ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता। शिकातकर्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये जिससे शिकायत की पुष्ठि हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.01.2023 द्वारा जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-11-24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.28 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner